रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 5 अगस्त, 2004/14 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 28 जुलाई, 2004

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-2808-15.—यह कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 28-11-2003 के अन्तर्गत श्रीमती रक्षा देवी, पंच, ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती रक्षा देवी, पंच, ग्राम पंचायत सोरतां को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-6925-27, दिनांक 9-12-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त न हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, गाम पंचायत सोरतां से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 29-9-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम काण्डा के परिवार संख्या 10 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती रक्षा देवी, पंच के ग्राम काण्डी, ग्राम पंचायत सोरतां के दिनांक 8-6-2001

के पश्चात् दिनांक 9-9-2003 को चौथी सन्तान होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती रक्षा देवी, पंच, ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 1—वकारन के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 28 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-2816-23.—यह कि कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 28-11-2003 के अन्तर्गत श्रीमती निर्मला देवी, पंच, ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती निर्मला देवी, पंच, ग्राम पंचायत जरल को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-6939-41, दिनांक 10-12-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गये थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जरल से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 10-9-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम गालो के परिवार संख्या 17 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती निर्मला देवी, पंच के ग्राम गालो, ग्राम पंचायत जरल के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 27-8-2003 को तीसरी सन्तान होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती निर्मला देवी, पंच, ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 2—गाली के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 28 जुलाई, 2004

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-2800-07.—यह कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 28-11-2003 के अन्तर्गत श्रीमती गीता देवी, पंच, ग्राम पंचायत मरहडा, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि० प्र०) के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती गीता देवी, पंच, ग्राम पंचायत मरहडा को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-6928-30, दिनांक 9-12-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त न हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मरहडा से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 30-4-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम मरहडा के परिवार संख्या 11 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती गीता देवी, पंच के ग्राम मरहडा ग्राम पंचायत, मरहडा के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 17-4-2003 को चौथी सन्तान उत्पन्न होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा० प्र० से०), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती गीता देवी, पंच, ग्राम पंचायत मरहडा, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत मरहडा, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 2 —मरहडा के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 2 अगस्त, 2004

संख्या: एस० एल० एन०-3-76(पंच)/2003-III-5157.—यह कि श्री रतन सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, ग्राम व डाकघर गलानग, ग्राम पंचायत सन्होल, सदस्य, वार्ड नं० 3, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश ने अपने पद से दो से अधिक तीसरी सन्तान होने के कारण अपना त्याग-पत्र खण्ड विकास अधिकारी, सोलन के माध्यम से दिनांक 4-7-2004 को प्रस्तुत किया गया है । जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, सोलन द्वारा अपनी टिप्पणी द्वारा पुष्टि की गई है ।

अतः मैं, सम्पूर सिंह, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा पंचायती राज (सामान्य नियम), 1997 के नियम 135 में प्राप्त है, श्री रतन सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत सन्होल, वार्ड नं0 3 का त्याग-पत्र उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से स्वीकार करता हूं तथा पद को रिक्त घोषित करता हूं।

सम्पूर सिंह,
जिला पंचायत अधिकारी,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 2 अगस्त, 2004

संख्या सोलन-4-77(पंच)/89-5141.—यह कि ग्राम पंचायत बसाल की दिनांक 5-4-2004 की बैठक जो कि प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव संख्या 7 में पारित किया गया था कि श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल, ग्राम पंचायत की निम्नलिखित बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा है :—

1. ग्राम पंचायत की बैठक 23-08-2003
2. ग्राम पंचायत की बैठक 05-09-2003
3. ग्राम पंचायत की बैठक 22-09-2003
4. ग्राम पंचायत की बैठक 05-10-2003
5. ग्राम पंचायत की बैठक 22-10-2003
6. ग्राम पंचायत की बैठक 05-12-2003
7. ग्राम पंचायत की बठक 22-12-2003
8. ग्राम पंचायत की बैठक 22-01-2004

सम्बन्धित सदस्य के उपरोक्त बैठक में अनुपस्थित रहने को पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, सोलन ने अपने कार्यालय पत्र संख्या सोलन-1(10)/99-पंच-1160, दिनांक 19-5-2004 द्वारा की है। इस सन्दर्भ में श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल को इस कार्यालय से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने बारे "कारण बताओ नोटिस" दिनांक 19-6-2004 को जारी किया गया था। परन्तु उनसे कारण बताओ नोटिस का उत्तर आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं कहना है और वे आरोप को स्वीकारते हैं, जिस कारण उक्त श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल, के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(ख) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः मैं, राजेश कुमार (भ0 प्र0 से0), उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) में प्राप्त हैं, श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल, वार्ड नं0 6 के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित